लाख की चूड़ियों के लिए भौगोलिक संकेत टैग आवेदन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** आईपी संबंधित मुद्दे

संदर्भ

- हाल ही में, हैदराबाद स्थित क्रीसेंट हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन वेलफेयर एसोसिएशन ने शहर में निर्मित होने वाली लाख चूड़ियों के लिए भौगोलिक संकेत टैग हासिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।
- ज्ञातव्य है कि जीआई टैग उत्पादन के क्षेत्र के आधार पर किसी उत्पाद की आसान पहचान में मदद करता है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

लाख की चूड़ियां

- लाख की चूड़ियों को केवल हैदराबाद के 'लाड बाजार' में दस्तकारी किया जाता है।
- इन जटिल लाख की चूड़ियों को बनाने की कला 500 साल से अधिक पुरानी है।
- विदित है कि राल से लाह को पिघलाकर गोल आकार में ढाला जाता है, जिसके बाद इसे क्रिस्टल, मोतियों, दर्पणों या पत्थरों से सजाया जाता है।
- चूड़ियों को पैटर्न की गहनता के लिए जाना जाता है, जिसे कारीगर क्रिस्टल से उकेरते हैं और पैलेट और डिज़ाइन समय के साथ विकसित होते रहते हैं।

लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिलने के निहितार्थ

- एक जीआई टैग भारत और विदेशों में हैदराबाद लाख की चूड़ियों की बेहतर ब्रांडिंग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- विदित है कि आवेदन पंजीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरेगा और एक वर्ष में पंजीकृत होने की संभावना है।
- जीआई पंजीकरण कला और कारीगरों को आईपी के अधिकार देकर मदद करेगा और उन्हें इन चूड़ियों को प्रीमियम पर बेचने में सक्षम बनाएगा, साथ ही यह खरीदारों के हितों की भी रक्षा करेगा।

तेलंगाना राज्य में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद

- हैदराबाद हलीम, वारंगल दर्री, निर्मल टॉयज और करीमनगर फिलीग्री, पोचमपल्ली इकत कुछ अन्य उत्पाद हैं, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जीआई टैग प्राप्त है।

भौगोलिक संकेतक

- भौगोलिक संकेतक का उपयोग ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- ध्यातव्य है कि इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- भौगोलिक चिन्ह या संकेत (जीआई) को ऐसे चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो वस्तुओं की पहचान (यथा-कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ या विनिर्मित वस्तुएँ आदि) एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है।
- ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यत: योगदान देती हैं।
- सामान्य तौर पर इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तथ्य के कारण होता है।
- भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तु) होता है।
- आम तौर पर, इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तथ्य के कारण होता है।
- चाय की अन्य किस्मों को दुर्भावनापूर्ण इरादा से "दार्जिलिंग" नाम / लेबल से बेचने वाले लोगों को दंडित किया जा सकता है।

- कुछ उदाहरण हैं – शैंपेन, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी साड़ी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, नागपुर के संतरे, बीकानेर की भुजिया इत्यादि।

भौगोलिक संकेतक आईपीआर के एक तत्व के रूप में शामिल

- औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन के अनुच्छेद 1(2) और 10 के अंतर्गत भौगोलिक संकेतकों को आईपीआर के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।
- इन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों (टीआरआईपीएस) करार के व्यापार संबंधी पहलुओं के अनुच्छेद 22 से 24 के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, जो जीएटीटी (टैरिफ और व्यापार समझौते पर सामान्य समझौता) के उरुग्वे चरण के समापन का हिस्सा थे।

भौगोलिक संकेतक किसी व्यापार चिह्न से कैसे भिन्न होता है?

- व्यापार चिह्न एक संकेतक है, जिसका व्यापार के दौरान उपयोग किया जाता है और यह एक व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न करता है।
- भौगोलिक संकेतक का किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक वस्तु संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 और भौगोलिक वस्तु संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संरक्षित हैं।

भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण का लाभ

- यह भारत में भौगोलिक संकेतकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- किसी उत्पाद को जीआई सुरक्षा प्रदान कर दिए जाने के बाद, कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।
- भारतीय भौगोलिक संकेतकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है।
- यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

भौगोलिक संकेतक किसी व्यापार चिह्न से कैसे भिन्न होता है?

- व्यापार चिह्न एक संकेतक है, जिसका व्यापार के दौरान उपयोग किया जाता है और यह एक व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न करता है।
- भौगोलिक संकेतक का किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण की वैधता

- इसका पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि तक के लिए वैध होता है।
- साथ ही इसे 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
- भारत में जीआई टैग के साथ दिया जाने वाला पहला उत्पाद वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय था।

भारत में जीआई को क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए?

- भारत में वस्तुओं का समृद्ध भंडार है, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इन वस्तुओं को उनकी भौगोलिक उत्पत्ति या निर्माण के स्थान से जोड़ा जा सकता है और इस भारतीय खजाने का संरक्षण किए जाने की जरूरत है।
- इन वस्तुओं की आर्थिक क्षमता बहुत व्यापक है।
- जीआई वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं बनाने से रोकना।
- एक नियम आधारित प्रणाली की आवश्यकता है, जो खुली, निष्पक्ष और एक प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध कराती है।

स्रोत: द हिन्दू

परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**

प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	द्वितीय प्रश्न पत्र : नीति आयोग, योजना और सहकारी संघवाद

संदर्भ

- पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग (Niti Aayog) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है।

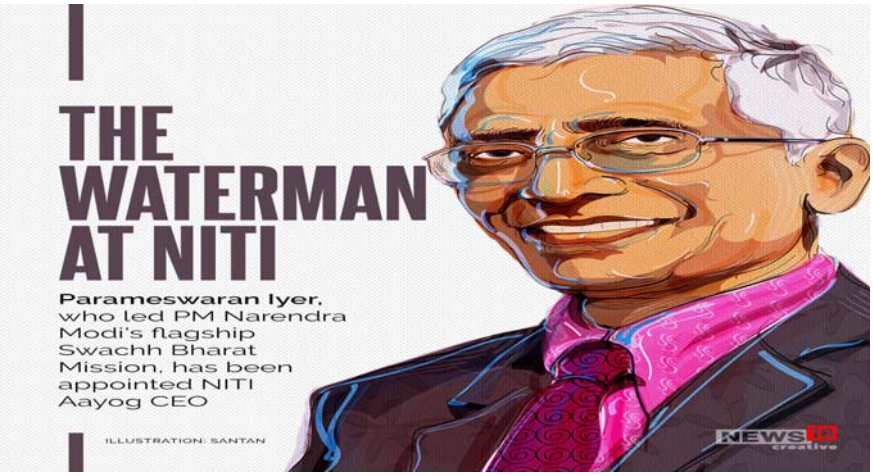

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- इनकी नियुक्ति अभी दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए की गई है।
- विदित है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

नीति आयोग

- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था।
- नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
- नीति आयोग, भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया था।
- प्रधान मंत्री ने 7 जून 2018 को, पदेन सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने के लिए नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

अध्यक्ष

- नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के उपराज्यपाल शामिल हैं।

गठन का उद्देश्य

- इसका गठन भारत के लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए किया गया था।
- अतीत से एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, ताकि राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जा सके और इससे सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

विशेषताएं

- नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जिसमें आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल हैं, जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम करेगा।

नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को भागों में विभाजित किया जा सकता है

- नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन

- थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब

नीति आयोग की संरचना

- भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं
- शासी परिषद में भारत में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।
- अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में शामिल होंगे:
    - उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)
    - पूर्णकालिक सदस्य
    - अंशकालिक सदस्य: पदेन क्षमता में अग्रणी विश्वविद्यालयों, अग्रणी अनुसंधान संगठनों और अन्य नवीन संगठनों से अधिकतम 2 सदस्य।
    - पदेन सदस्य: मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने हैं।
    - मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाएगी। वह भारत सरकार के सचिव के पद पर होंगे।

स्रोत: द हिन्दू